

# आदेश - पत्रक

155/1519

अनुसूचित 14-फारम नं० 562

(देखें अधिलेख 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक ..... ता० ..... से ..... तक .....  
जिला ..... से ..... 200 .....

आदेश की क्र० सं० और ता०	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित															
1	2	3															
	<p>श्री श्री रजनी मिश्रा</p> <p>वल्द ५० अप्रैल १९४८ अपर्मित शुल्वन् पत्र</p> <p>थाना कुरुक्षेत्र जिला पटना</p> <p>के बाला नं० दिनांक</p> <p>के आधार पर नियमित जमीन पर दाखिल खरिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है।</p> <table> <tr> <td>मौजा का नाम</td> <td>तौजी नं०</td> <td>खाता नं०</td> <td>खसरा</td> <td>एराजी</td> </tr> <tr> <td>पट्टा</td> <td>-</td> <td>६४३</td> <td>७२९</td> <td>०२५८</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>६२९</td> <td>७२८</td> <td></td> </tr> </table>	मौजा का नाम	तौजी नं०	खाता नं०	खसरा	एराजी	पट्टा	-	६४३	७२९	०२५८			६२९	७२८		
मौजा का नाम	तौजी नं०	खाता नं०	खसरा	एराजी													
पट्टा	-	६४३	७२९	०२५८													
		६२९	७२८														

मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन हेतु दे दें। महाल पर सूचना जारी कर आपति की माँग कर।  
अभिलेख दिनांक १६/४/४८ को उपस्थित करें।

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी

महाल पर तमिला नोटिस प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है।  
कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उन लोगों ने आवेदन के नाम दाखिल खारिज करने की अनुशंसा किये हैं। फलतः उनके अनुशंसा के आधार पर दाखिल खारिज किया जाता है रुद्धि पत्र निर्गत करें।  
लिखा एवं शुद्ध किया।

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी

ब्रजराजपत्र अधिकारी

२७/६/४८